न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
पीठासीन अधिकारी :– **अशोक असीजा आर.ए.एस.**

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ। प्रकरण संख्याः 53/2021

प्रार्थी

बनाम

संदीपकुमार पुत्र शीशराम कस्वां निवासी ढाणी पट्टा सात्यू तह0 तारानगर जिला चुरू।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 07.07.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ पेट्रोल–डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत नोहर रोड़ पर नाका लगाकर जांच हेतु में उपस्थित हुए। मौके पर हरियाणा बॉर्डर से आती हुई पिकअप नं0 RJ-10-GB-0844 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 1500 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम संदीप कुमार पुत्र शीशराम कस्वां उम्र 25 वर्ष जाति जाट निवासी तारानगर जिला चुरू का होना बताया। मुताबिक संदीप कुमार उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद करना बताया एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 1500 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1500 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम एवं एवं पिकअप नं0 RJ-10-GB-0844 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 60 वर्ष जाति यादव हाल उचित मूल्य दुकानदार निवासी थालडका को सुपुर्दगी में दिया गया गया। इस प्रकार संदीप कुमार पुत्र शीशराम कस्वां उम्र 25 वर्ष जाति जाट निवासी तारानगर जिला चुरू द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GB-0844 मय 1500 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned By Scanner Go

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरतारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 29.04.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी द्वारा सिरसा (हरियाणा) से खरीद के बिल जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दिये थे एवं उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यों हेतु ले जाना बता दिया था एवं 1500 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रमीनियल एस.बी. मिसलेनियस रिट पेटीशन नं0 1206/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 व पेटीशन सं0 4279/2018 में पारित आदेश दिनांक आदेश 03.01.2019 में इस तरह की कार्यवाहियों को गलत मानते हुए जब्त डीजल वापिस शास्ति सहित दिलवाने के आदेश दिये है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। डीजल के बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दिये थे तथा समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 1500 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GB-0844 मय 1500 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम को वापस लौटायं जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यों हेतु ले जाना बता दिया था एवं 1500 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। डीजल के बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दिये थे तथा

Scanned By Scanner Go

र जिला मजिस्ट्रेट